रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2017/चैत्र 27, 1939
No. 294] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2017/CHAITRA 27, 1939

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 374(अ).—राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतदद्वारा राष्ट्रीय पटसन बोर्ड कर्मचारी (सेवा शर्तें) विनियमन, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :

1. उक्त नियम में, अनुसूची में,-

(i) अनुसूची के क्रमांक 1 से 27 में उल्लिखित पदों के कॉलम (3) में वर्ष '2015' के स्थान पर '2017' रखा जाएगा;

(ii) अनुसूची के क्रमांक 1 से 12 में उल्लिखित पदों के कॉलम (9) में शब्द 'हां' को निम्नानुसार पढ़ा जाए;

(i) आयु/शैक्षणिक योग्यता – हां;

(ii) योग्यता के पश्चात् कार्य अनुभव – लागू नहीं;

(iii) अनुसूची के क्रमांक 1 से 18 में उल्लिखित पदों के कॉलम (12) में वाक्य 'प्रतिनियुक्ति के लिए पांच वर्ष के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/पदाधिकारी को निम्नानुसार पढ़ा जाए

''प्रतिनियुक्ति के लिए, इसी क्षेत्र में अथवा सदृश्य पदों में वर्ष से कार्यरत अधिकारी/पदाधिकारी ''

(iv) अनुसूची के संयुक्त निदेशक (बाजार संवर्धन, योजना क्रियान्वयन और संपर्क), नई दिल्ली के पद के लिए क्रमांक 8 के कॉलम (8) में शब्द और अंक '5 वर्ष' को निम्नानुसार पढ़ा जाए

'10 वर्ष';

(v) अनुसूची के उप निदेशक (वित्त एवं लेखा/ईएस) के पद के लिए क्रमांक 9 के कॉलम (8) में शब्द और अंक '10 वर्ष' को निम्नानुसार पढ़ा जाए

'8 वर्ष';

(vi) अनुसूची के कनिष्ठ लेखाकार के पद के लिए क्रमांक 23 के कॉलम (8) में, शब्द 'स्नातक' को न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ बी. कॉम' पढ़ा जाए;

[फा. सं. 2/1/2012-जेई/पटसन (भाग-II)]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 16 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 133(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2017

G.S.R. 374(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the National Jute Board Act, 2008 (No. 12 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Jute Board Employees (Recruitment Rules) Regulations, 2017, namely :—

1. In the said rules, in the Schedule,—

(i) In column (3) of the posts mentioned at Sl.No. 1 to 27, the year "2015" shall be substituted as "2017";

(ii) In Column (9) of the posts mentioned at Sl. No. 1 to 12 of the Schedule, the word "Yes" may be read as

(i) Age/educational qualification -Yes,

(ii) Post qualification work experience - Not Applicable;

(iii) In Column (12) of the posts mentioned at Sl. No. 1 to 18 of the Schedule, the phrase "For deputation, officers/officials working in the same field with 5 years'....." may be read as

"For deputation, officers/officials working in the same field or in the analogous posts with....."

(iv) In Column (8) of Sl. No. 8 for the post of Jt. Director (Market Promotion, Scheme Implementation & Liaison), New Delhi of the Schedule, the word and figures "15 years" may be read as

"10 years";

(v) In Column (8) of Sl. No. 9 for the post of Dy. Director (Finance & Accounts/ES) of the Schedule, the word and figures "10 years" may be read as

"8 years";

(vi) In Column (8) of Sl. 23 for the post of Jr. Accountant of the Schedule, the word "Graduate" may be read as "B. Com with at least 3 years' experience";

[No. 2/1/2012-JE/Jute, Part-II]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number GSR 133 (E), dated the 16th February, 2017.

IndiaCode

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 375(अ).—राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा राष्ट्रीय पटसन बोर्ड कर्मचारी (सेवा शर्तें) विनियमन, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :

भाग III नामत : 'भर्ती' में,

क्रमांक 2 नामत : 'सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया' में, वाक्य 'डीओपीटी के मौजूदा निर्देशों के अनुसार' को निम्नानुसार पढ़ा जाए

'डीओपीटी के मौजूदा निर्देशों के अनुसार'

[फा. सं. 2/1/2012-जेई/पटसन (भाग-II)]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 16 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 132(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2017

G.S.R. 375(E).—In In exercise of the powers conferred by section 22 of the National Jute Board Act, 2008 (No. 12 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Jute Board Employees (Conditions of Service) Regulations, 2017, namely :—

In Section III namely 'Recruitments',

At serial number 2 namely "Procedure for direct recruitment", the phrase 'as per the extent instructions of the DOPT' may be read as

'as per the extant instructions of the DOPT'.

[F. No. 2/1/2012-JE/Jute, (Part-II)]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number GSR 132(E), dated the 16th February, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.04.19 21:07:21 +05'30'